मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-6-2-/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 मई 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का निलंबन.

संदर्भ.—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-12-38/91/3/1 दिनांक 7 जून, 1991.

उपरोक्त संदर्भांकित ज्ञापन के पैरा-2 के अंतिम दो वाक्यों (अंतिम पांच पंक्तियों) जो निम्नानुसार है :—

"इसी प्रकार यदि अनुशासिक अधिकारी राज्य शासन हो और आरोप पत्र निर्धारित अवधि 90 दिन के अंदर जारी नहीं किये जा सके हैं, तो शासन की अनुमति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है. यदि उक्त बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर भी आरोप पत्र जारी नहीं किये जाते हैं तो संबंधित शासकीय सेवक का निलंबन आदेश स्वयं ही निरस्त हो जाता है" के स्थान पर निम्नानुसार पंक्तियां प्रतिस्थापित की जाती हैं. :—

"परन्तु उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन के आदेश से निलंबन अवधि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी परन्तु जहां अनुशासनिक अधिकारी राज्य शासन हो वहां आरोप पत्रादि निलंबन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी करना आवश्यक है अन्यथा निलंबन आदेश प्रतिसंहत (Revoked) हो जायेगा."

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निलंबन की कालावधि 90 दिन से अधिक किसी दशा में बढ़ाई नहीं जा सकेगी.

हस्ता/-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी 6-2/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 मई 1992.

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
   लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म. प्र. भोपाल.